

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री संजय शरण,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)।

सभी अधीक्षण अभियंता।

सभी कार्यपालक अभियंता।

रॉची, दिनांक :-

विषय:-स्थानान्तरित अभियंताओं द्वारा नवपदस्थापन पर योगदान कर आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय अधिसूचना सं.-01/स्था.(प्रो.)-10-08/2011, 7456, 7457, 7458 एवं 7459 दिनांक 27.12.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार के इन आदेशों के पूर्णतः अनुपालन के संबंध में सूचना अभी तक अप्राप्त है, जो खेदजनक स्थिति है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक अधिसूचनाओं के द्वारा स्थानान्तरित सभी अभियंता एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से नए पदस्थापन का प्रभार ग्रहण कर इसकी सूचना विभाग को दें अन्यथा सरकारी आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता के लिए उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी जिसमें संबंधित अभियंता एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी दोनों दोषी माने जायेंगे।

विश्वासभाजन,

ह./-

(संजय शरण)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग/ सचिव, नगर विकास विभाग/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि./ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव एवं अवर सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

(संजय शरण)

सरकार के अवर सचिव

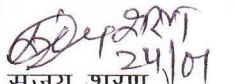
ज्ञापांक :-

454

रॉची, दिनांक :-

24-1-13

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय शरण)

सरकार के अवर सचिव